संख्या–वे0आ0–2–2055/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2010

विषयः– वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग–1 में राजकीय विभागों के फार्मासिस्ट (भेषजिक) संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के फार्मासिस्ट (भेषजिक) संवर्ग के सम्बन्ध में नवम् प्रतिवेदन भाग–1 में दी गयीं निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है :—

(1) सभी राजकीय विभागों में उपलब्ध फार्मासिस्ट के पदों पर इण्टरमीडिएट (विज्ञान) की शैक्षिक अर्हता निर्धारित की जाय।

(2) प्रदेश के समस्त राजकीय विभागों में जन चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा के अन्तर्गत उपलब्ध फार्मासिस्ट के पदों पर प्रशिक्षण एवं पंजीकरण की व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्टों के समान रखी जाय। विभाग विशेष द्वारा आवश्यकतानुसार पदधारकों की तैनाती के उपरान्त विभागीय विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित विभागों द्वारा की जा सकेगी।

(3) प्रदेश के समस्त राजकीय विभागों में जन चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा के अन्तर्गत उपलब्ध फार्मासिस्ट के पदों पर एक समान वेतनमान अनुमन्य कराया जाय।

(4) फार्मासिस्ट सवंर्ग के ढ़ॉचे में उपलब्ध प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) के पदों को चीफ फार्मासिस्ट के पदों के साथ संविलीन कर दिया जाय। प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) के पद पर वर्तमान में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 फरवरी, 2007 से अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– वैयक्तिक रूप से अनुमन्य रहेगा।

(5) होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हेतु निर्धारित अवधि के प्रशिक्षण की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय।

(6) चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी/होम्योपैथिक विभाग तथा प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में फार्मासिस्ट संवर्ग के वर्तमान ढ़ॉचे को सम्प्रति यथावत बनाये रखा जाये। उपर्युक्त विभागों में फार्मासिस्ट के पद से उच्च स्तर के पद (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्धारित ढ़ांचे के अनुसार) विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते परीक्षणोपरान्त ही सृजित किये जायें।

(7) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट संवर्ग का ढ़ॉचा (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती की प्रकिया) निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित किया जाये :—

क0 सं0	पदनाम/01 जनवरी, 2006 से लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)	अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया
(1)	(2)	(3)
1—	फार्मासिस्ट/ वे0बै0—5200—20200 एवं ग्रे0वेतन 2800/—	शत—प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता— इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त 2 वर्ष 3 माह की अवधि का फार्मेसी में डिप्लोमा एवं स्टेट फार्मेसी कौन्सिल, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत।
2—	चीफ फार्मासिस्ट/ वे0बै0—9300—34800 एवं ग्रे0वेतन 4200/—	फार्मासिस्ट के पद पर आठ वर्ष की सेवा वाले पदधारकों में से शत—प्रतिशत पदोन्नति।
3—	विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी)/ वे0बै0—15600—39100 एवं ग्रे0वेतन 5400/—	चीफ फार्मासिस्ट के ऐसे पदधारकों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने फार्मासिस्ट एवं चीफ फार्मासिस्ट के पदों पर कुल अट्ठारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
4—	उप निदेशक (फार्मेसी)/ वे0बै0—15600—39100 वं ग्रे0वेतन 6600/—	विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी) के ऐसे पदधारकों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट एवं विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी) के पदों पर कुल इक्कीस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(8) फार्मासिस्ट संवर्ग में उपलब्ध विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी), वेतनमान रू0 8000—13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड—3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/—) और उप निदेशक (फार्मेसी) वेतनमान रू0 10000— 15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड—3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/—) को बनाये रखने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता के आलोक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायें।

(9) फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों पर विभिन्न भत्तों एवं सुविधाओं तथा स्थानीय निकायों/अन्य स्वशासी संस्थाओं के अन्तर्गत विद्यमान

फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां यथा स्थान अलग से दी जायेगी।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या—वे0आ0—2— 2055 (1) / दस—54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 64 सा0 वित्त—10—9—2010—(1010)—2000 प्रतियां (क0 / आ0)।